न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ.लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व मूलवाद संख्या–8912/2018

अप्रार्थी :–

प्रार्थी :–

पुखराज पुत्र सगराम जाति
मेघवाल निवासी ग्राम चिरढ़ाणी
तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर ।

बनाम

तहसीलदार पीपाड़ शहर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री रामदयाल चौधरी प्रार्थी की ओंर से

दिनांक : 27.05.2019

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी ने अंकन किया है कि ग्राम चिरढ़ाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थी व अन्य की खातेदारी कब्जासुद कृषि भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी ने 1/4 हिस्सा में से 3/5 हक हिस्से की भूमि को खातेदारान, राणाराम, झुमरराम पिसरान माधाराम व आयचुकी बेवा माधाराम जातियान बावरी निवासीगण चिरढ़ाणी वाले से रजिस्टर्ड बैचाननामा कि खरीद कर लिया था तथा उक्त बैचाननामा के आधार पर हल्का पटवारी ने राणाराम, झुमरराम पिसरान माधाराम व आयचूकी बेवा माधाराम के स्थान पर प्रार्थी के नाम से नामान्तरण सं. 1032 इन्द्राज किया, जिसकी नकल संलग्न है । प्रार्थी वक्त खरीद से अपनी भूमि पर काबिज काश्त है । चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 में इन्द्राज करते समय वादग्रस्त आराजी में आयचुकी बेवा माधाराम का नाम भुलवंश सहवन से गलत इन्द्राज कर दिया गया जबकि उक्त बेचाननामा अनुसार वादग्रस्त आराजी मेंसे राणाराम, झुमरराम पिसरान माधाराम व आयचुकी बेवा माधाराम ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि को कारकुट प्रार्थी को बैचान कर दी थी तत्पश्चात् प्रार्थी पुखराज के नाम से नामान्तरण भी इन्द्राज हो चुका है । मामला प्रथम दृष्ट्या रेकर्ड दुरूस्ती का है । वादग्रस्त आराजी में आयचुकी बेवा माधारा का नाम गलत इन्द्राज हो रखा है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम पुखराम अंकित किया हुआ है जो सहवन से त्रुटिवंश अंकित हो रखा है जिसे दुरूस्त किया जाकर पुखराम के स्थान पर पुखराज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । प्रार्थी को पूर्व में उक्त इन्द्राज की जानकारी नही रही, अभी हाल ही में प्रार्थी ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई की वादग्रस्त आराजी में आयचुकी बेवा माधाराम का नाम गलत रूप से इन्द्राज हो रखा है व प्रार्थी का नाम त्रुटिवंश पुखराम दर्ज हो रखा है । प्रथम दृष्टया मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है एवं प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है व अन्दर म्याद पेश है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि ग्राम चिरढ़ाणी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाया जाकर आयचुकी बेवा माधाराम का नाम हटाया जावें व प्रार्थी का नाम पुखराम के स्थान पर पुखराज किये जाने के आदेश फरमावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुआ अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब दावा पेश किया है जो इस प्रकार से है कि :– चूंकि अब राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन हो चुका है न्यायालय की डिक्री से खसरा नम्बर 147 मेंसे नया खसरा नम्बर 147/1 रकबा 9.08 बीघा = 1.5201 का बन चुका है व अब खसरा नम्बर 147 का शेष रकबा 4.5628 है = 28 बीघा 4 बिस्वा शेष रहा है । अतः अब खसरा नम्बर 147 रकबा 28 बीघा 4 बिस्वा में ही शुद्धि की जा सकती है एवं वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 147 की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है खसरा नम्बर 147 रकबा 28.04 बीघा बारानी द्वितीय, आयुचकी 1/15, जिमनाई 1/105, नर्मदा 1/15, पुखराज 2/15, पप्पुराज 1/105, मुथराई 1/105, मिश्री 1/105, राजुराम 1/105, लक्ष्मणसिंह 1/3, श्रवणराम 1/105, संतोष 1/105, सीता 1/3 इस वर्तमान खाते में आयचुकी पत्नि माधाराम 1/15 हिस्से के स्थान पर पुखराज पिता संगराज जाति मेघवाल सा.देह खातेदार शुद्धि किया जाना उचित है । इसी प्रकार पुखराज पिता सगराज 2/11 के स्थान पर पुखराज पिता संगराज 2/15 किया जाना उचित है । इस प्रकार शुद्धि के पश्चात् वर्तमान खाता इस प्रकार रहेगा खसरा नम्बर 147 रकबा 28.04 बीघा बारानी प्रथम जिमनाई 1/105, नर्मदा 1/15, पुखराज = 1/15+ 2/15 = 3/15 = 1/5, पप्पुराम 1/105, मुथराई 1/105, मिश्री 1/105, राजुराम 1/105, लक्ष्मणसिंह 1/3, श्रवणराम 1/105, सन्तोष 1/105, सीता 1/3 परन्तु प्रार्थना पत्र वर्तमान राजस्व रेकर्ड भिन्न प्रकार से है । अतः प्रार्थना पत्र अनुसार शुद्धि करना उचित रहेगा क्योकि राजस्व रेकर्ड की स्थिति वर्तमान में न्यायालय की डिक्री से परिवर्तित है । जिससे प्रार्थी संशोधित दावा पेश करके संशोधित कर सकता है । जिसके लिए अप्रार्थी को कोई आपति नही है । प्रार्थी को वर्तमान रेकर्ड की जानकारी होते हुए भी भिन्न प्रकार से प्रार्थना पत्र दिया है। पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमाबन्दी, नकल, स्थिति की पुष्टी करता है। अतः प्रार्थी का कथन स्वीकार नही है । प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें । प्रार्थी यदि संशोधित प्रार्थना पत्र वर्तमान रेकर्ड के अनुसार पेश करे तो न्यायालय अप्रार्थी को कोई आपति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम चिरड़ाणी तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाया जाकर आयचुकी बेवा माधाराम का नाम हटाया जावें व प्रार्थी का नाम पुखराम के स्थान पर पुखराज किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है ।

आदेश

हमने बहस पक्षकारन सुनी, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया जाकर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम चिरड़ाणी के खाता सं. 363 खसरा नम्बर 147 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा में से आयचुकी बेवा माधाराम का नाम हटाया जाता है एवं पुखराम पिता संगराम के स्थान पर पुखराज पिता सगराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 27.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner